कार्यवृत्त

गुरूवार, 18 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 08 जून, 2017)

खण्ड–48
अंक–3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

नेता प्रतिपक्ष ने नियम–310 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के घोटाले विषयक दी गयी अपनी सूचना को प्राथमिकता पर लिये जाने का अनुरोध किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल होने दें, नियम–310 की उक्त सूचना पर प्रश्नकाल के पश्चात् विचार कर लिया जायेगा। नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के अन्य मा0 सदस्य पुनः उक्त सूचना को लिये जाने पर बल देने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल के पश्चात वे उक्त सूचना को नियम–310 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे। इस पर विपक्ष के मा0 सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से उक्त सूचना पर चर्चा कराने की मांग करने लगे, जिससे सदन में व्यवधान होने लगा। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि सरकार उक्त सूचना को ग्राह्यता पर चर्चा कराये जाने के लिये तैयार है, विपक्ष प्रश्नकाल होने दे। उसके पश्चात् यह सूचना ग्राह्यता पर ली जा सकती है।

शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक ने कहा कि नियम–310 की सूचना पर अभी तक सदन में अत्यन्त महत्वपूर्ण गंभीर विषय जैसे आपदा आदि पर चर्चा हुई है तथा प्रश्नगत सूचना इस परिधि में नही आती है। इस पर मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उक्त सूचना अत्यन्त गंभीर प्रकृति की है तथा नियम–310 के अन्तर्गत लिये जाने योग्य है। विपक्ष के कई मा0 सदस्य जोर–जोर से अपनी बात कहते हुए सदन के 'वेल' में आ गये, जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 15 मिनट पर 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी।

11 बजकर 30 मिनट पर सुरक्षाधिकारी ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 11 बजकर 45 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।

सदन की कार्यवाही 11 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

विपक्ष के सदस्य नियम–310 के अपनी सूचना को लिये जाने की मांग करते हुए सदन के 'वेल' में आ गये। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल विपक्ष का होता है, उसे होने दें। प्रश्नकाल के पश्चात वे उक्त सूचना को नियम–310 के अन्तर्गत सुन लेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने पुनः उक्त सूचना लिये जाने पर बल देते हुए कहा कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए विपक्ष प्रश्नकाल को त्याग कर नियम 310 की इस सूचना को लिए जाने के लिए तैयार है। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे उक्त सूचना को ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 74 से सम्बन्धित कथित घोटाले पर नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य मा0 सदस्यों द्वारा दी गयी नियम–310 की सूचना पर नेता प्रतिपक्ष तथा मा0 सदस्य श्री करन माहरा, काजी मौहम्मद निजामुद्दीन, श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल तथा श्री मनोज रावत ने अपने विचार व्यक्त किये।

संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया। इस पर विपक्ष के सदस्य सूचना को ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर जोर–जोर से अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये, जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई है, जिसमें से वे 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। नियम–300 के अन्तर्गत निम्न सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई :–

1.	श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	प्रदेश में शादी अनुदान योजना का लाभ न मिल पाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
2.	श्री प्रदीप बत्रा	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार से रूड़की की ओर कावंड़ मार्ग के सुदृढीकरण व मूलभूत सुविधाओं का स्थायीकरण कराये जाने के संबंध में।
3.	श्री विनोद कण्डारी	विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के चन्द्रबदनी से काण्डीखाल मोटर मार्ग का निर्माण न किये जाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
4.	श्री राम सिंह कैड़ा	भीमताल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खनस्यूं तहसील व पतलोट डिग्री कालेज में स्टाफ नहीं होने से हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में।
5.	श्री दीवान सिंह बिष्ट	विधान सभा क्षेत्र रामनगर में पम्पापुरी, भगतपुरी, दुर्गापुरी तटबन्ध का निर्माण न होने के कारण व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
6.	श्री बिशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नवाली में अतिवृष्टि के कारण अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के भवनों में दरार आने के कारण दूसरों के घरों में आश्रय ले रहे प्रभावित परिवारों को अन्यत्र विस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
7.	श्री चन्दन राम दास	जनपद देहरादून स्थित आचार्य मेरीटाईम इन्सटीट्यूट, द्वारा 08 बच्चों से मर्चेन्ट नेवी में भर्ती व प्रशिक्षण के नाम पर की गई ठगी के संबंध में।

घोर व्यवधान के मध्य ही संसदीय कार्यमंत्री ने भारत का संविधान के अनुच्छेद–323 (2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का पंचदश वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 01 अप्रैल 2015 से दिनांक 31 मार्च, 2016 तक) सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य ही समाज कल्याण मंत्री ने निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा–65 के अन्तर्गत आयुक्त निःशक्तजन उत्तराखण्ड का (01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तथा 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक) वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :–

(1) उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 02 मई, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 मई, 2017 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का पाचवाँ अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड माल और सेवाकर विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 02 मई, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 मई, 2017 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का छठवाँ अधिनियम बन गया।

घोर व्यवधान के मध्य श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी शहर में ड्रेनेज सिस्टम बिजली, पानी एंव सड़कों का अवस्थापना विकास कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री हरि सिंह पुण्डीर एवं अन्य निवासीगण, ग्राम–काण्डा पो0 लामकोट, जनपद–टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

घोर व्यवधान के मध्य ही श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी के टिपरी काण्डीखाल मोटर मार्ग के अन्तर्गत ग्राम नन्द गांव व मठियाली के कास्तकारों का प्रतिकर भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री विनोद सिंह, ग्राम मैहराब, पो०बड़कोट टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

घोर व्यवधान के मध्य ही श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी के नई टिहरी व चम्बा नगरपालिका क्षेत्र में कूड़े का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री धर्म सिंह रावत, भारत मार्केट चम्बा, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

घोर व्यवधान के मध्य ही श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''टिहरी विधानसभा के अन्तर्गत सारज्यूला व कोश्यार ताल, घण्टाकर्ण, सुरकण्डा लम्बित पम्पिंग योजनाओं का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री जगवीर सिंह रावत, ग्राम व पो० तुगोंली, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

घोर व्यवधान के मध्य ही श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''टिहरी विधानसभा के अन्तर्गत रानीचौरी, चम्बा नगर व टिपरी पम्पिंग योजनाओं का पुर्नगठन कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री विजय सिंह नेगी, ग्राम डारगी, पो० रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

घोर व्यवधान के मध्य ही संसदीय कार्यमंत्री ने वक्तव्य दिया कि माननीय मंत्रीमण्डल के निर्णय के कम में वित्तीय वर्ष 2017–18 का आय–व्ययक विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु वित्त मंत्री के बजट भाषण तथा बजट एक नजर में, की हार्ड कॉपी तथा शेष बजट साहित्य की सॉफ्ट कॉपी (पैन ड्राइव) मा0 सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी।

सदन की कार्यवाही 01:00 बजे 03:00 बजे तक भोजनावकाश के लिये स्थगित हुई।

श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही 03:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।

संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 07 जून, 2017 की बैठक में 08 जून से 20 जून, 2017 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्न रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

<u>जून, 2017</u>

08 गुरूवार	(1) औपचारिक कार्य।
	(2) विधायी कार्य।
	(3) मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2017–18 के बजट का प्रस्तुतीकरण। (अपराह्न 04:00 बजे)
09 शुक्रवार	(1) बजट पर सामान्य चर्चा।
	(2) असरकारी कार्य।
	(3) निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण:–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0स0वि0स0	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव/तोकों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।''
2. श्री चन्दन राम दास, मा0स0वि0स0	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य शराब व व्यसन मुक्त हो तभी देव भूमि की कल्पना साकार होगी।''

3. श्री शक्ति लाल शाह, मा0स0वि0स0	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''
4. श्री भरत सिंह चौधरी, मा0स0वि0स0	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।
10 शनिवार	राजकीय अवकाश।
11 रविवार	राजकीय अवकाश।
12 सोमवार	(1) बजट पर सामान्य चर्चा। (2) विधायी कार्य।
13 मंगलवार	(1) बजट पर सामान्य चर्चा। (2) विभागवार अनुदान मॉगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान। (3) विधायी कार्य।
14 बुधवार	(1) विभागवार अनुदान मॉगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान। (2) विधायी कार्य।
15 गुरूवार	(1) विभागवार अनुदान मॉगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान। (2) विधायी कार्य। (3) विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, चर्चा एवं मतदान।
16 शुक्रवार	(1) विधायी कार्य। (2) असरकारी कार्य।
17 शनिवार	राजकीय अवकाश।
18 रविवार	राजकीय अवकाश।
19 सोमवार	(1) विधायी कार्य।
20 मंगलवार	(1) विधायी कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार एवं श्रीमती ममता राकेश की दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वे उनको ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने दिनांक 04 जून, 2017 को सायं 05:00 बजे उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग पर हेल्गू गाड़ के पास भागीरथी में समाये वाहन में सवार 12 लोगों के मृत शरीर न मिलने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम–58 की सूचना पर विचार व्यक्त किये। शहरी विकास मंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में तहसील भवन का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–58 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये। शहरी विकास मंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने 03 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही को 04:00 बजे तक स्थगित किया।

अपराह्न 04:00 बजे

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2017–18 का आय–व्ययक प्रस्तुत किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुई है, वे इनमें से–

मा0 सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल की सूचना, जो विधान सभा क्षेत्र ऊधमसिह नगर के रूद्रपुर में नजूल भूमि व कृषि कार्य वाली भूमि पर वर्षो से निवास कर रहे कब्जाधारकों को उनके स्वामित्व में फ्री–होल्ड कर पट्टा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये एवं

मा0 सदस्य श्री सुरेश राठौर की सूचना जो, जनपद हरिद्वार में कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहे है।

शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मानीला में पर्यटन सुविधाओं का विकास न किये जाने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 01 मई, 2017 को दी गयी सूचना पर नियम–53 के अन्तर्गत पर्यटन मंत्री ने वक्तव्य दिया।

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत जेठाई व आठ अन्य गांवों में पेयजल की समस्या से लोगों में उत्पन्न आक्रोश के संबंध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 01 मई, 2017 को दी गई सूचना पर नियम–53 के अन्तर्गत पेयजल मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया।

जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गैरखेत–बल्मरा–सराईखेत में उत्तराखण्ड राज्य बनने से पूर्व स्वीकृत मोटर मार्ग का आज तक सुधारीकरण व डामरीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असन्तोष के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 02 मई, 2017 को दी गई सूचना पर नियम–53 के अन्तर्गत संसदीय कार्यमंत्री ने वक्तव्य दिया।

विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कल्जीखाल में चिनवाड़ी डांडा पम्पिंग पेयजल योजना के संबंध में श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 02 मई, 2017 को दी गई सूचना पर नियम–53 के अन्तर्गत पेयजल मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया।

05 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।